उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4774/नौ-5-15-179सा/2015
लखनऊ : 25 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्मार्ट सिटीज मिशन' योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत देश के 100 शहरों को चयनित किया जाना है, जिनमें से 13 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नगरों के विकास हेतु अन्तर्विभागीय कार्यदल का गठन किये जाने की व्यवस्था है। नगर निगमों के सन्दर्भ में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों के सन्दर्भ में सम्बन्धित जिलाधिकारी इस कार्यदल के अध्यक्ष होंगे। अतः स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यदल का गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1	नगर आयुक्त नगर निगमों हेतु एवं अन्य में सम्बन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत	सदस्य
5	अधीक्षक अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
6	अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	राज्य सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	मुख्य नगर नियोजक/नगर नियोजक विकास प्राधिकरण	सदस्य
9	सहायक नियोजक या उनके प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग	सदस्य
10	क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम	सदस्य
11	महाप्रबंधक, बी0एस0एन0एल0 या इनके प्रतिनिधि	सदस्य
12	नगरीय क्षेत्र से संबंधित दो विशेषज्ञ (नगर आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य

उक्त कार्यदल द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित नगर का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा तथा स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-4774(1)/नौ-5-15-179सा/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/लोक निर्माण/परिवहन विभाग, उ0प्र0शासन।
(5) निजी सचिव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) समस्त सम्बन्धित सदस्य।
(8) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मा0 महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(12) महाप्रबन्धक, बी0एस0एन0एल0, उत्तर प्रदेश।
(13) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।